JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax: +91-612-250 4960, Website:www.brlp.in

Ref. No.: BRLPS/Project/366/12/902 Date: 1/7/2015

OFFICE ORDER

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPS) has scaled up its activities across all the districts of the state and has lent a helping hand in creation of community institutions (SHGs and its higher level federations). BRLPS has been making investments in these community institutions through one of its components called Community Investment Fund (CIF) to promote different aspects of livelihoods activities. BRLPS has taken decision to review the existing limit of different components of Community Investment Fund. All DPCUs are directed to adhere to the prescribed limit for different sub- components of CIF (i.e. Revolving Fund, Initial Capitalization Fund, Health Risk Fund and Food security Fund). The details are following:

(a) SHGs can be provided with Revolving Fund up to a maximum amount of Rs. 15,000.00 (Rupees Fifteen Thousand only). This will remain with SHGs as seed capital and the SHGs are not required to repay the amount to Village Organizations. All the existing guidelines will be followed adequately in case of releasing Revolving Fund to SHGs.

(b) SHGs can be provided with Initial Capitalization Fund up to a maximum amount of Rs. 15,000.00 (Rupees Fifteen Thousand only). This amount needs to be returned to Village Organizations after its formation in due installments. All the existing guidelines will be followed in case of release of Initial Capitalization Fund to SHGs.

(c) SHGs whose Micro Plan is prepared and is duly approved by the Loan Committee Meeting can be provided with maximum amount of Rs.30, 000.00 (Rs. Thirty Thousand Only) as mentioned above. This amount needs to be categorized as Revolving Fund worth Rs. 15000.00(Rs. Fifteen Thousand Only) and Initial Capitalization Fund worth Rs. 15,000.00(Rs. Fifteen Thousand Only). Different eligibility criteria as mentioned in the **office order numbered BRLPS/Admn/Vol-III/10/2670 dated 07.11.12** will be adhered to while releasing the amount. This is to reiterate the need for adhering to the existing guidelines and frameworks. **The related office order is also attached for reference.**

(d) Health Risk Fund (HRF) can be provided to eligible Village Organizations up to a maximum amount of Rs. 50,000.00 (Rupees Fifty Thousand only) as stipulated before. All the existing laid down guidelines and procedures for releasing HRF will be followed strictly.

1/7/15

(e) Food Security Fund (FSF) can be provided to eligible Village Organizations up to a maximum amount of Rs. 1, 00,000.00 (Rupees One Lakh only) . All the existing laid down guidelines and procedures for releasing FSF will be followed strictly.

(f) Expenditures in the BRLP areas (namely Gaya, Nalanda, Khagaria, Purnea, Muzaffarpur and Madhubani) for the above mentioned sub-components of CIF (i.e, RF, ICF, HRF, FSF) will be booked under **Budget Head BRLP-Community Investment Fund.**

(g) Expenditures in the 77 blocks of NRLP districts related to sub components of CIF (i.e, RF, ICF, HRF, FSF) will be booked under **Budget Head NRLP-Community Investment Support**. Details of the related blocks have been communicated through **office order no. BRLPS/Proj/378/12/3220 dated 18th September 2013**. The related office order is attached for reference.

(h) Expenditures related to sub components of CIF (i.e, RF, ICF, HRF, FSF) in all the blocks except BRLP and NRLP blocks will be booked under **Budget Head of NRLM(SRLM-Community Investment Support).**

All DPMs are directed to ensure release of fund to SHGs whose all due diligence has been completed on priority. All districts will ensure booking of the expenditures as per the above mentioned Budget Heads. Existing guidelines and frameworks will be given adequate importance while releasing amount for different components of Community Investment Fund.

This Office Order will be effective from 1st July 2015.

1/7/15

(Dr. N. Vijaya Lakshmi)

CEO, BRLPS

Copy to:

1. OSD/Director/PS/PO/AO
2. PCs/ SPMs/ PMs/ SFMs/ AFMs/
3. DPMs/ Incharge DPMs/ DFMs / Managers/ YPs/ All staffs of DPCU
4. BPMs/ Incharge BPMs/ All staffs of BPIU

JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar

बिहार सरकार

1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : www.brlp.in

Ref:- BRLPS/Admn/Vol-III/10/2670 Date 7/11/12

कार्यालय–आदेश

जीविका परियोजना के द्वारा सामुदायिक निवेश निधि का उपयोग सामुदायिक संगठन के स्तर पर निर्णय क्षमता बढ़ाने एवं उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। इस निधि के संचालन से सामुदायिक स्तर पर आत्म विश्वास की बढ़ोत्तरी होती है क्योंकि संसाधनों पर निर्णय का अधिकार उनका होता है। पिछले कुछ वर्षों में इस निधि का उपयोग कर गरीब परिवार के सदस्यों ने महाजनों का अत्यधिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण चुकाया, अपनी गिरवी रखी जमीन वापस ली, जीविका के संसाधनों को बढ़ाया, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुलझाया, खाद्य सुरक्षा बढ़ाया तथा परिवार की खुशहाली के लिए अन्य कई कार्य किये।

ज्ञात हो कि कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/ESTT/222/08/1362 दिनांक 20.09.11 के तहत आरंभिक पूंजीकरण निधि की प्रथम किश्त के रूप में 20,000 रूपये की राशि निर्धारित की गई थी। जीविका स्तर पर आरंभिक पूंजीकरण निधि के अंतर्गत अधिकतम 50,000 रूपये की राशि उपलब्ध है। समुदाय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आरंभिक पूंजीकरण निधि की प्रथम किश्त के रूप में अधिकतम 50,000 रूपये की राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य सुरक्षा निधि एवं खाद्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत ग्राम संगठन के माध्यम से दी जाने हेतु अधिकतम राशि क्रमशः 50,000 रूपये एवं 1,00,000 रूपये निर्धारित की गई है। इस संदर्भ में राज्य परियोजना प्रबंधक – एस.डी. के द्वारा दिनांक 16.06.2012 (16 जून 2012) को ई–मेल के माध्यम से सूचना दे दी गयी थी। जीविकोपार्जन निधि के अंतर्गत ग्राम–संगठन के माध्यम से दी जानेवाली अधिकतम राशि 2,50,000 रूपये निर्धारित की गई है। उपयुर्क्त निर्णय पिछले अनुभवों को समाहित करते हुए किये गये हैं जिसका सार निम्नलिखित सारणी में वर्णित है:–

क्रम संख्या	सामुदायिक निवेश निधि का स्वरुप	आवश्यक मापदंड पूरी होने पर दी जाने वाली राशि	सामुदायिक स्तर जिनको यह राशि निर्गत की जा सकती है
1	आरंभिक पूंजीकरण निधि	0 – 50,000 रु0	समूह / ग्राम संगठन
2	स्वास्थ्य सुरक्षा निधि	0–50,000 रु0	ग्राम संगठन
3	खाद्य सुरक्षा निधि	0–1,00,000 रु0	ग्राम संगठन
4	जीविकोपार्जन निधि	0–2,50,000 रु0	ग्राम संगठन

इस कार्यालय आदेश के उपरांत दी जाने वाली सामुदायि निवेश निधि के विभिन्न स्वरूपों की अधिकतम सीमा उपर्युक्त वर्णित सारणी के अनुरूप होगी । इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि ऐसे स्वयं सहायता समूह जिन्हें अभी तक आरंभिक पूँजीकरण निधि का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें इस कार्यालय आदेश के उपरांत 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) तक की अधिकतम राशि आरंभिक पूँजीकरण निधि के रूप में उपलब्ध करवायी जायेगी । यह भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि वर्तमान में ऐसे समूह जिन्हें सिर्फ 20,000 रूपये (बीस हजार रूपये) की राशि उपलब्ध करायी गई है, उन्हें आवश्यकतानुसार अतिरिक्त 30,000 रूपये (तीस हजार रूपये) की राशि आरंभिक पूँजीकरण निधि के अन्तर्गत उपलब्ध करवायी जाए ताकि वे अपने जरूरतों को ससमय पूरा कर सकें।

उपर्युक्त लिये गये नीतिगत निर्णय को बेहतर ढंग से परियोजना के कर्मियों एवं समुदाय स्तर पर कार्यकर्त्ताओं को समझाने हेतु विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न है, जो इस कार्यालय आदेश का हिस्सा है। इस आदेश की प्रति (अनुलग्नक सहित) समस्त परियोजना कर्मियों को प्रखंड स्तर पर उपलब्ध करवायी जाए। इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रुप से प्रखंड एवं जिला परियोजना प्रबंधक पर होगी।

यह निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक अपने कार्य क्षेत्र में इस निर्णय के अनुसार कार्य सुनिश्चित करवायें।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

7/11/2012

अरविन्द कुमार चौधरी
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका

सामुदायिक निवेश निधि से संबंधित कार्यालय आदेश का अनुलग्नक

जीविका परियोजना के द्वारा सामुदायिक संगठनों की क्रियाशीलता बढ़ाने हेतु विभिन्न तरीकों से क्षमतावर्धन किया गया है। सामुदायिक संगठन के स्तर पर क्षमतावर्धन की प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करने हेतु विभिन्न माध्यमों से वित्तीय निवेश सुनिश्चित करवाये गये है। एक ओर जहाँ बैंक के माध्यम से वित्तीय सम्पोषण को दिशा दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर परियोजना स्तर पर एक निधि के स्वरुप की परिकल्पना की गयी है। इस निधि को सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund - CIF) के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक निवेश निधि एक ऐसी राशि है जो परियोजना द्वारा समूह के सदस्यों के विकास हेतु उनके द्वारा गठित सामुदायिक संगठनों को दी जाती है। ये संगठन सामूहिक रुप से अपनी जरुरतों का आकलन करते है तथा जरुरतमंद सदस्यों को इस निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लेते हैं। सामुदायिक संगठनों के स्तर पर किये गये क्षमतावर्धन एवं वित्तीय निवेश का असर उनके द्वारा लिये गये निर्णय की प्रक्रिया में साफतौर पर दिखाई देता है। सामुदायिक संगठन अपने पास उपलब्ध संसाधनों के सही उपयोग को लेकर काफी सतर्क दिखाई देते हैं एवं इससे उनकी कार्य क्षमता और पारदर्शिता काफी विकसित होती है।

परियोजना द्वारा सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तर संगठन–CLF) के स्तर पर सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अलग–अलग स्वरुपों में निवेश किया गया है। इन विभिन्न स्वरुपों को नीचे वर्णित किया गया है। परियोजना के अनुभव पर सामुदायिक निवेश निधि के विभिन्न स्वरुपों में कुछ बदलाव की जरुरत महसूस की गयी है। सामुदायिक निवेश निधि के विभिन्न स्वरुपों एवं प्रस्तावित बदलाव की रुपरेखा को निम्नलिखित रुप में भविष्य में क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट किये जाते हैं :

(क) आरंभिक पूंजीकरण निधिः

इस निधि का मुख्य मकसद समूह की गरीब सदस्यों की जरुरतों के लिए पूंजी की उपलब्धता सहज रुप से सामुदायिक संगठन के माध्यम से सुनिश्चित करवाना है। इस निधि के अंतर्गत अधिकतम 50,000 रुपया (पचास हजार रुपये) कि राशि तय की गयी है। हलांकि कार्यालय आदेश संख्या **BRLPS/ESTT/221/08/1362** दिनांकः **20/09/2011** के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आरंभिक पूंजीकरण निधि की पहली किस्त के रुप में मात्र 20,000 (बीस हजार रुपये) की राशि ही समूह या ग्राम संगठन के माध्यम से निर्गत की जाएगी। आरंभिक पूंजीकरण निधि के उपयोग की व्यापकता को देखते हुए इस राशि पर पुनर्विचार किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इसकी प्रथम किश्त की अधिकतम राशि 50,000 रु0 (पचास हजार रुपये) होगी। समूह अंतर्गत इसमें सम्मिलित 12 से 15 परिवारों की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए इस राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह भी सुनिश्चित करना जरुरी होगा कि वर्तमान में ऐसे समूह जिन्हें सिर्फ 20,000रु0 (बीस हजार रुपये) की राशि उपलब्ध करवायी गयी है, उन्हें 30,000रु0 (तीस हजार रुपये) की अतिरिक्त राशि आरंभिक पूजीकरण निधि के अंतर्गत उपलब्ध करवायी जाए ताकि वे अपनी जरुरतों की पूर्ति कर सके।

7/11/12

आरंभिक पूंजीकरण निधि के अंतर्गत 30,000 रूपये (तीस हजार रूपये) की अतिरिक्त राशि को उपलब्ध करवाते समय समूह के द्वारा की गई सूक्ष्म नियोजन माइक्रोप्लानिंग में वर्णित जरूरत, समूह के द्वारा पंचसूत्र का पालन, पूर्व में दी गई राशि का सदुपयोग, वापसी प्रतिशत एवं समूह की गुणवता को ध्यान में रखना जरूरी है। उपर्युक्त मानको को ही आधार बना कर अतिरिक्त राशि को निर्गत किया जाना है। यह अतिरिक्त राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में जानी जायेगी।

आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) देने हेतु समूह स्तर पर मापदण्ड निम्नलिखित हैं :

1. स्वयं सहायता समूह कम से कम दो माह पुराना होना चाहिए। इस दौरान समूह की नियमित कम से कम 8 बैठकें पूरी होनी चाहिए। समूह का बचत खाता बैंक में खुला होना चाहिए।
2. समूह को पंचसूत्रा का पालन करने वाला होना चाहिए। इसका मतलब है कि समूह द्वारा नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन–देन, नियमित वापसी और नियमित लेखा संधारण किया जाता है।
3. समूह का प्रशिक्षण परियोजना द्वारा तय माड्यूल पर हो गया हो। ये माड्यूल हैं :

   क) गरीबी के कारण तथा समूह की आवश्यकता।

   ख) बैठक की प्रक्रिया, नियमावली एवं तरीकों से संबंधित चीजें।

   ग) नेतृत्व, वित्तीय अनुशासन एवं मतभेद समाधान जैसे मुद्दों पर परिचर्चा।
4. जीविका मित्र (Community Mobilizer)का चयन हो जाना चाहिए। जीविका मित्र का Books of Accounts पर प्रशिक्षण पूर्ण होनी चाहिए एवं उसे समूह का नियमित लेखांकन करते रहना चाहिए। जीविका मित्र का लेन–देन प्रपत्र पर प्रशिक्षण अनिवार्य है।
5. खाता बही का लेखांकन सही–सही होना चाहिए। कार्यवाही पुस्तिका एवं लेन–देन प्रपत्र तो जरुर ही लिखा होना चाहिए। खाता बही का लेखांकन जीविका मित्र या सामुदायिक समन्वयक के द्वारा अवश्य ही लिखा होना चाहिए।
6. सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करवानी चाहिए तथा कभी भी सदस्यों की जरुरत से ज्यादा ऋण पर जोर नहीं देना चाहिए। समूह की सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए।
7. आरंभिक पूंजीकरण निधि समूह को देने से पहले संबंधित सामुदायिक संगठक एवं क्षेत्रीय संगठक इस बात को सुनिश्चित करें कि सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया की समझ सदस्यों के स्तर पर अच्छी हो। सदस्यों की जरूरतों का आकलन अच्छी तरह किया गया हो एवं सदस्यों को ऋण की शर्तें स्पष्ट मालूम हों।
8. नियमित बैठक में सदस्यों की उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए। इसकी गणना जरूर करें और उसका आधार साक्ष्य के रूप में रहना चाहिए।
9. बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम–से–कम 80 प्रतिशत सदस्य नियमित बचत कर रहे हों।

7/11/12

10. समूह के आन्तरिक लेन–देन की शुरूआत अवश्य होनी चाहिए। समूह में ली गयी रकम की ससमय वापसी का ध्यान भी जरूर रखें।

11. समूह की वापसी दर कम–से–कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

यह निदेशित है कि ग्राम संगठन के बनने के बाद आरंभिक पूंजीकरण निधि की राशि ग्राम संगठन के माध्यम से ही समूहों को दी जाएगी। इससे ग्राम संगठन की क्रियाशीलता बढ़ेगी तथा ग्राम संगठन को विभिन्न सामाजिक एवं वित्तीय मुद्धों पर निर्णय लेने में सहुलियत होगी।

परियोजना द्वारा आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) देने हेतु ग्राम संगठन स्तर पर मापदंड निम्नलिखित है :–

1. ग्राम संगठन कम से कम 3 माह पुराना होना चाहिए। इस दौरान संगठन की कम से कम 3 बैठकें पूरी होनी चाहिए।
2. ग्राम संगठन का बचत खात बैंक में खुला होना चाहिए।
3. ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति का गठन हो चुका हो। इसके साथ ही संगठन को नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रतिनिधियों का चयन हो गया हो।
4. ग्राम संगठन की निर्धारित उप समितियों का गठन हो गया हो। ग्राम संगठन के अंतर्गत गठित उप समितियॉ है: सामाजिक ऑडिट (अंकेक्षण) समिति, बैंक लिंकेज समिति, ऋण वापसी समिति, सोशल एक्शन (सामाजिक कार्य) समिति, खाद्य सुरक्षा समिति इत्यादि।
5. ग्राम संगठन का प्रशिक्षण परियोजना द्वारा तय माड्यूल पर हो गया हो। ये माड्यूल हैं:

   (क) ग्राम संगठन की अवधारणा, महत्व एवं नियमावली ।

   (ख) बैठक की प्रक्रिया, एजेंडा एवं लेखा का महत्व ।

   (ग) उप समितियों का गठन एवं उनकी भूमिका।
6. ग्राम संगठन के लेखा संधारण हेतु बुक कीपर (Bookkeeper) का चयन हो गया हो। चयन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संबंधित बुक कीपर का ग्राम संगठन की लेखा संधारण हेतु प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका हो। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि ग्राम संगठन से संबंधित लेखा संधारण हेतु Books of Records की उपलब्धता अनिवार्य है।
7. ग्राम संगठन स्तर पर लेखा संधारण हेतु बुक कीपर या संबंधित सामुदायिक संगठक का प्रशिक्षण पूर्णतः अनिवार्य है। यह अतिमहत्वपूर्ण मापदंड है और इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
8. खाता–बही का लेखांकन सही–सही तरीके से होना चाहिए। कम से कम प्राप्ति एवं भुगतान विपत्र के साथ–साथ कैश बुक का लिखा जाना अनिवार्य है।
9. ग्राम संगठन पंचसूत्रा का पालन करने वाला होना चाहिए।
10. ग्राम संगठन स्तर पर उपस्थिति एवं वापसी प्रतिशत कम से कम 80% हो।

उपर्युक्त वर्णित रुपरेखा के अंतर्गत ही भविष्य में आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF) का निवेश सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक संगठनों के माध्यम से किया जाएगा।

(ख) <u>स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (**Health Risk Fund**)</u>:

ग्रामीण स्तर पर यह देखा एवं अनुभव किया गया है कि एक गरीब अपने परिवार के साथ कड़ी मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ भी जाता है या बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाता है तो एक बीमारी (स्वास्थ्य से संबंधित कारण) पूरी तरह से उसे पीछे धकेल देती है। वह आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है और उसके बाद भी अगर वह पूर्णरूपेण ठीक न हो पाया हो तो महाजनों द्वारा दी गयी राशि का बोझ उसे

7/11/12

पूरी तरह तोड़ देती है। छोटी अथवा बड़ी रकम के एवज में एक गरीब आदमी को बहुत तरह के समझौते करने पड़ते हैं। उसे अपनी संपत्ति अथवा मजदूरी तक गिरवी रखनी पड़ती है। उसकी आवाज मंद पड़ जाती है। इन परिस्थितियों से गरीब व्यक्ति को बचाने हेतु परियोजना के अनुभव के आधार पर एक निधि का गठन किया गया है जिसे **"स्वास्थ्य सुरक्षा निधि"**कहते हैं। इस निधि को ग्राम संगठन के स्तर पर रखा गया है ताकि इसका समुचित उपयोग सामूहिक सहमति के आधार पर किया जा सके। इस निधि का उपयोग समूह के सदस्य स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इस निधि के अंतर्गत विभिन्न आवश्यक मापदण्डों को पूरा करने के बाद अधिकतम 1,50,000 रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये) की राशि ग्राम संगठन स्तर पर दी जाती थी। **परियोजना के अनुभव के आधार पर अब इस राशि की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) तय की गयी है।**

इस निधि को पाने हेतु ग्राम संगठन स्तर पर तय किये गये मापदंड निम्नलिखित है:

- ग्राम संगठन कम से कम तीन माह पुराना हो।
- ग्राम संगठन के कम से कम 50 प्रतिशत समूहों के द्वारा स्वास्थ्य के नाम पर की जाने वाली तीन माह की बचत (स्वास्थ्य हेतु) की शुरूआत पूरी हो गयी हो ।
- ग्राम संगठन में उपसमिति का गठन हो गया हो जिसमें सामाजिक कार्य उप–समिति का गठन होना आवश्यक है।
- ग्राम संगठन के प्रतिनिधी सदस्य(OB- Office Bearer), सामाजिक कार्य उप समिति, सी० एम०, बुककीपर एवं सम्बधित सामुदायिक समन्वयक और क्षेत्रीय समन्वयक का स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से संबंधित अवधारणा एवं कियान्वयन पर प्रशिक्षण मिला हो ।
- ग्राम संगठन में होने वाले हिसाब–किताब का लेखन सुचारू रूप से किया जाता हो। जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के हिसाब–किताब के लिए आवश्यक बही खाता में लेखन किया जाता हो। लेखन बही का निरीक्षण सामुदायिक समन्वयक एवं क्षेत्रीय समन्वयक द्वारा पूरा किया गया हो।
- ग्राम संगठन के समूहों का सी० आई० एफ० ऋण वापसी दर 95 प्रतिशत हो।

(ग)<u>खाद्य सुरक्षा निधि (**Food Security Fund**)</u>:

सामुदायिक संगठनों के साथ काम करते हुए जीविका परियोजना को इस बात का अनुभव हुआ कि ग्राम स्तर पर वास्तविक विकास की गूंज तभी सुनाई पड़ेगी जब समूह के सदस्य इस बात के लिए पुरजोर कोशिश करें तथा यह सुनिश्चित करें कि संबंधित गॉव का कोई भी परिवार

भूखे पेट न रहा हो। इस आशय को मूर्त रूप देने हेतु यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि ग्राम संगठन स्तर पर एक ऐसी निधि का निर्माण हो जिसका इस्तेमाल सदस्य द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु किया जा सके। ग्रामीण स्तर पर खाद्य सुरक्षा की परिकल्पना को साकार करने हेतु खाद्य सुरक्षा निधि का निर्माण किया गया है। इस निधि का उपयोग समूह के सदस्यों के द्वारा खाद्यान्न की जरुरतों को पूरा करने हेतु किया जाता है। सामुदायिक संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि उनके कोई सदस्य खाद्यान्न असुरक्षा के भाव से ग्रसित न हों।

इस निधि के अंतर्गत ग्राम संगठन स्तर पर अधिकतम 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) उपलब्ध करवायी जाती थी। **परियोजना के अनुभव के आधार पर अब इसकी अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) तय की गयी है।**

इस निधि को पाने हेतु ग्राम संगठन स्तर पर तय किये गये मापदंड निम्नलिखित हैं :

- ग्राम संगठन कम से कम तीन माह पुराना होना चाहिए।
- ग्राम संगठन का बैंक में अपना खाता खुल गया हो एवं बैंक के द्वारा उसे खाता नम्बर उपलब्ध करवा दिया गया हो।
- ग्राम संगठन स्तर पर लेखांकन की प्रक्रिया सुचारु रुप से चल रही हो। इसका अर्थ यह हुआ कि बुक–कीपर का चुनाव हो गया हो, बुक कीपर की ट्रेनिंग हो गयी हो तथा लेखांकन की पुस्तकें उपलब्ध हो गयी हों।

(घ) <u>जीविकोपार्जन निधि</u> **<u>(Livelihoods Fund)</u>** :-

ऐसा अक्सर देखा गया है कि सदस्य अपनी शुरूआती जरूरतों–जिसमें उपभोग की जरूरतें भी शामिल हैं, के पूरे होने के बाद स्थायित्व की ओर बढ़ना चाहती है। सदस्यगण यह स्थायित्व जीविकोपार्जन के आधार को बढ़ाकर करना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सदस्य रोजगार के संसाधनों को बढ़ाने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता की जरूरत महसूस करते हैं ताकि उनके जीविकोपार्जन के आधार को ठेस न लगे और उसका स्थायित्व बरकरार रहे। चूँकि परियोजना पारिवारिक स्तर पर आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने हेतु कृतसंकल्प है, इसलिए एक निधि का गठन किया गया है जिसे **जीविकोपार्जन निधि** के नाम से जाना जाता है। परियोजना के द्वारा सदस्यों को सतत जीविकोपार्जन के अवसर मुहैया कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों जैसे : SRI, SWI, PVSP,पशुपालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि से जोड़ा जा रहा है। इन गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु तथा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही साथ आमदनी बढ़ाने हेतु **"जीविकोपार्जन निधि"** की व्यवस्था ग्राम संगठन स्तर पर की गई है। इस निधि के अंतर्गत अधिकतम राशि 2,50,000 रूपये (दो लाख पचास हजार रूपये) निर्धारित की गयी है।

7/11/12

जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

पत्रांकः– BRLPS/Proj./378/12/3220

दिनांकः–18.09.2013

कार्यालय आदेश

(सामुदायिक निवेश निधि के विभिन्न बजट शीर्षों से व्यय करने के संबंध में)

सामुदायिक निवेश निधि की राशि को विभिन्न बजट शीर्षों में समायोजित करने से संबंधित कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या BRLPS/Proj/378/12/3017 दिनांक 08 दिसम्बर 2012 द्वारा निर्गत किया गया था। उपर्युक्त कार्यालय आदेश के तहत जीविका द्वारा क्रियान्वयित विभिन्न परियोजनाओं (बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (BRLP-Bihar Rural Livelihoods Project), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP-National Rural Livelihoods Project), बिहार कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट (BKFRP-Bihar Kosi Flood Recovery Project) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM-National Rural Livelihoods Mission)) के भौगोलिक कार्यक्षेत्रों का विभाजन भी स्पष्ट रुप से किया गया था।

सरकार के निर्णयानुसार 01 अप्रैल 2013 से बिहार कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट (BKFRP) का विलय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP) में कर दिया गया है। साथ ही जीविका द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं में खर्च की जाने वाली सामुदायिक निवेश निधि की राशि को विभिन्न बजट शीर्षों में निदेशित समायोजन पर पुनरावलोकन की जरुरत महसूस की गयी है।

उक्त के आलोक में सामुदायिक निवेश निधि को विभिन्न बजट शीर्षों में समायोजित करने हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश को संशोधित करते हुए निम्न निदेश दिये जाते हैं :

1. **बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (BRLP)** : इस परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के 6 जिलों (गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया एवं पूर्णियाँ) के सभी प्रखंडों में किया जा रहा है। इन जिलों एवं प्रखंडों में सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन, उत्पादक समूह, उत्पादक समूहों के संघ, प्रोड्युसर कंपनी आदि) को दी जाने वाली **सामुदायिक निवेश निधि की समस्त राशि का व्यय BRLP के अंतर्गत (BRLP-Community Investment Fund) बजट शीर्ष से होगा।**

2. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP) :** सरकार के निर्णय के अनुसार 01 अप्रैल 2013 से बिहार कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट (BKFRP) का विलय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP) में कर दिया गया है। इस विलय से 3 जिलों (सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा) के 13 प्रखंडों को सम्मिलित करते हुए NRLP के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है। इस प्रकार अब इस परियोजना के अंतर्गत 19 जिलों के 77 प्रखंडों में कार्य किया जा रहा है, जिनकी सूची निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	जिले का नाम	प्रखंड का नाम	कुल प्रखंड
1	सहरसा	सोनबरसा, सौरबाजार, पथरघट,	3
2	मधेपुरा	मुरलीगंज, कुमारखंड, मधेपुरा सदर, उदाकिशुनगंज, बिहारीगंज, ग्वालपारा	6
3	सुपौल	त्रिवेणीगंज, छातापुर, बसंतपुर, प्रतापगंज	4
4	औरंगाबाद	नबीनगर, मदनपुर, गोह, रफीगंज	4
5	बांका	बौंसी, बेलहर, कटोरिया, चानन	4
6	भागलपुर	पीरपैंती, कहलगॉव, सुलतानगंज, सोन्हौला	4
7	दरभंगा	बिरौल, बहेरी, बहादुरपुर, दरभंगा	4
8	गोपालगंज	कुचायकोट, बैकुंठपुर, बरौली, मंझा	4
9	जमुई	चकाई, झाझा, सोनो, खैरा	4
10	कटिहार	कोढ़ा, कदवा, मनिहारी, बरारी	4
11	किशनगंज	कोचाधामन, ठाकुरगंज, दीघल बैंक, पोठिया	4
12	मुंगेर	मुंगेर सदर, खड़गपुर, धरहरा, बरियारपुर	4
13	नवादा	नवादा, अकबरपुर, वारसलीगंज, सिरदला	4
14	प0 चंपारण	बाघा–2, मझौलिया, नरकटियागंज, गौनाहा	4
15	पटना	पालीगंज, मसौढ़ी, धनरुआ, नौबतपुर	4
16	पूर्वी चंपारण	चकिया, मोतिहारी, ढाका, पताही	4
17	रोहतास	सासाराम, शिवसागर, दिनारा, नोखा	4
18	समस्तीपुर	कल्याणपुर, समस्तीपुर, विभूतपुर, उजियारपुर	4
19	सीतामढ़ी	रुन्नीसैदपुर, बथनाहा, डुमरा, रीगा	4
		कुल प्रखंड	**77**

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP) के अंतर्गत शामिल उपर्युक्त प्रखंडों में विभिन्न सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन, उत्पादक समूह, उत्पादक समूहों के संघ, प्रोड्युसर कंपनी आदि) के माध्यम से समुदाय की जरुरतों को पूरा करने हेतु दी जाने वाली सामुदायिक निवेश निधि के विभिन्न स्वरुपों (आरंभिक पूंजीकरण निधि, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, खाद्य सुरक्षा निधि, जीविकोपार्जन निधि इतयादि) की राशि का व्यय **NRLP के अंतर्गत (NRLP- Community Investment Support) बजट शीर्ष से किया जाएगा।**

3. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)** : इसके तहत BRLP एवं NRLP के अंतर्गत आने वाले प्रखंडों के अलावा राज्य के शेष प्रखंडों में कार्य किया जाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रखंडों में खर्च होने वाली **सामुदायिक निवेश निधि की समस्त राशि का व्यय NRLM के तहत (SRLM- Community Investment Support) बजट शीर्ष से किया जाएगा।**

यह आदेश दिनांक 01 सितम्बर 2013 के प्रभाव से लागू होगा।

18/9/2013

(अरविन्द कुमार चौधरी)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष कार्य पदाधिकारी / मुख्य वित्त पदाधिकारी / प्रशासी पदाधिकारी / वित्त पदाधिकारी / प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट / प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी।
2. सभी राज्य परियोजना प्रबंधक / सभी परियोजना प्रबंधक / सभी जिला परियोजना प्रबंधक।
3. सभी वित्त प्रबंधक / सभी प्रशिक्षण प्रबंधक / सभी प्रशिक्षण पदाधिकारी / सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक / सभी विषयगत प्रबंधक / सभी यंग प्रोफेशनल।
4. IT सेक्शन।
5. संबंधित संचिका।